भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

05.08.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2823 का उत्तर

सुपरफास्ट रेलगाड़ियों में स्वच्छता मानक

2823. श्री राजीव राय:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्धारित सेवा जीवन काल और स्वच्छता मानकों के मुकाबले लंबी दूरी की सुपरफास्ट रेलगाड़ियों में कोच और शौचालय सुविधाओं की स्थिति का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) जोन-वार, ऐसे कोचों की संख्या कितनी है जिन्हें बदला जाना है और उनके उन्नयन के लिए क्या समय-सीमा तय की गई है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान ट्विटर/सोशल मीडिया पर अस्वच्छ/गैर-कार्यशील शौचालयों, अपर्याप्त पानी की आपूर्ति आदि के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या तथा वर्ष-वार की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त रेलगाड़ियों में नियमित निरीक्षण, समय पर कोचों को बदलने और निर्धारित स्वच्छता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ) भारतीय रेल पर यात्रियों की संरक्षा, सुविधा और आराम को बेहतर बनाने हेतु चल स्टॉक का आधुनिकीकरण और सुधार/उन्नयन एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा सवारी डिब्बों का प्रतिस्थापन/मरम्मत उनकी स्थिति तथा निर्धारित संहितागत सेवा-आयु पूर्ण होने आदि के आधार पर की जाती है।

पूर्ववर्ती आईसीएफ प्रकार के सवारी डिब्बों को अधिक सुरक्षित और आधुनिक एलएचबी प्रकार के सवारी डिब्बों से बदलने का कार्य चरणबद्ध रूप से शुरू किया गया है। प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत एलएचबी सवारी डिब्बों में बेहतर यात्रा अनुभव, बेहतर सौंदर्य और इनमें हल्के डिजाइन, एंटी क्लाइम्बिंग, निष्क्रियता संकेतन प्रणाली सहित एयर सस्पेंशन (सेकेंडरी), स्टेनलेस स्टील शेल और डिस्क ब्रेक प्रणाली जैसी विशेषताएँ होती हैं।

वर्ष 2004-14 की तुलना में 2014-26 के दौरान एलएचबी सवारी डिब्बों का उत्पादन निम्नानुसार है:

अवधि	विनिर्मित एलएचबी सवारी डिब्बे
2004-14	2,337 अदद
2014-26	49,366 अदद (21 गुना से अधिक)

भारतीय रेल यात्रियों के आराम और सुखद यात्रा अनुभव को सुनिश्चित करने के लिए रेलगाड़ियों को व्यवस्थित बनाए रखने और साफ-सुथरा रखने का हर संभव प्रयास करती है। रेलगाड़ियों में स्वास्थ्यकर और सफाई सुनिश्चित करने के लिए निम्नानुसार विभिन्न उपाय किए गए हैं:

- शौचालयों सहित आंतरिक और बाह्य डिब्बों की बेहतर सफाई के लिए प्राथमिक और गौण अनुरक्षण के दौरान मशीनीकृत डिब्बों की सफाई सुनिश्चित की जाती है।
- आन बोर्ड हाउसकीपिंग सेवाएं (ओबीएचएस) रेलगाड़ी के चलने के दौरान लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में स्वच्छता और सफाई बनाए रखने के लिए उपलब्ध कराई जाती है।
- स्वच्छ ट्रेन स्टेशन (सीटीएस) योजना मार्ग में पड़ने वाले चिन्हित स्टेशनों पर रेलगाड़ियों की स्वच्छता में सुधार के लिए मशीनीकृत सफाई की जाती है।
- सभी मेनलाइन यात्री डिब्बों में बायो-शौचालय लगाए गए हैं।
- सभी डिब्बों और स्टेशनों पर नियमित कीटों और कृंतकों का नियंत्रण किया जाता है।
- सभी यात्री डिब्बों में कूड़ेदान उपलब्ध कराए गए हैं और रेलगाड़ियों के अंदर इकट्ठे हुए कचरे को एकत्र किया जाता है और इस उद्देश्य के लिए चिह्नित निर्दिष्ट स्टेशनों पर इनका निपटान किया जाता है।
- स्वच्छता मानकों में महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक सुधार प्राप्त करने के उद्देश्य से भारतीय रेल में नियमित रूप से स्वच्छ भारत अभियान के तहत विशेष स्वच्छता अभियान और स्वच्छता पहल आयोजित किए जाते हैं।

रेल मदद भारतीय रेल की शिकायत निवारण प्रणाली है, जो यात्रियों को शिकायतों, सहायता और पूछताछ के लिए एकीकृत मंच प्रदान करती है। रेल मदद के अंतर्गत, यात्री हेल्पलाइन नंबर-139, रेल मदद वेब, ऐप और एसएमएस जैसे कई चैनलों के माध्यम से शिकायतों के निवारण की मांग कर सकते हैं। रेलमदद यात्रियों को उनकी शिकायतों के निपटान पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करने की सुविधा भी प्रदान करता है।

इसके अलावा, सवारी डिब्बों का समुचित रख-रखाव तथा स्वच्छता एवं साफ-सफाई के मानकों को बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित कार्यक्रम/अवधि के अनुसार डिपो/शेड आदि में अनुरक्षण के दौरान नियमित निरीक्षण किए जाते हैं।
